प्रेषक,

दीपक कुमार,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक : 09 दिसम्बर, 2025

विषय :-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की एस एन ए खाते में जमा अव्ययित राज्यांश की धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में।

महोदय,

केन्द्र प्रोयोजित योजनाओं के संचालन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा एस.एन.ए. प्रणाली लागू की गई थी जिसके अन्तर्गत राज्य की समेकित निधि में प्राप्त केन्द्रांश तथा उसके सापेक्ष आनुपातिक राज्यांश की धनराशि को शेड्यूल्ड कर्मिशियल बैंक में खुले एस.एन.ए. खाते में 30 दिनों के अन्दर जमा किये जाने का प्रावधान किया गया था।

2- वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एस.एन.ए. प्रणाली के स्थान पर एस.एन.ए. स्पर्श प्रणाली को लागू को किया गया है। एस.एन.ए. स्पर्श प्रणाली के अन्तर्गत ऑन बोर्ड की गई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के पूर्व से शेड्यूल्ड कामर्शियल बैंकों में संचालित एस.एन.ए. खाते में जमा धनराशि में से केन्द्रांश की धनराशि को केन्द्र सरकार को तथा राज्यांश की धनराशि को राज्य सरकार को वापस किया जाना है।

3- केन्द्रांश की वापसी के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 16 जनवरी, 2024 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त कार्यालय ज्ञाप के अनुसार अव्ययित धनराशि की वापसी के लिए लघु शीर्ष- "913-घटाएं-राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से सहायता अनुदान के अव्ययित शेष की वसूली" को प्रयोग किये जाने की व्यवस्था दी गई है।

4- उक्त के सम्बन्ध में पूर्व से शेड्यूल्ड कामर्शियल बैंकों में संचालित एस.एन.ए. खाते में **रक्षित राज्यांश** की अव्ययित धनराशि को राजकोष में जमा किये जाने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की एस.एन.ए. खाते में रक्षित अव्ययित राज्यांश की धनराशि की वापसी के लिए लघु शीर्ष "911-घटाएं-अधिक अदायगियों की वसूलियां" का उपयोग किया जायेगा तथा धनराशि को सम्बन्धित अनुदान के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए स्वीकृत धनराशि के मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष के अन्तर्गत लघु शीर्ष "911-घटाएं-अधिक अदायगियों की वसूलियां" में चालान द्वारा राजकोष में जमा किया जायेगा।

उदाहरणार्थ:- यदि अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत संचालित निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित योजना-

मुख्य शीर्ष- 2401-फसल कृषि कर्म
उप मुख्य शीर्ष-00
लघु शीर्ष- 119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें
उप शीर्ष- 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश
विस्तृत शीर्ष-01-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

मानक मद -42-अन्य व्यय

से धनराशि स्वीकृत व आहरित कर एस.एन.ए. खाते में रखी गयी है, तो अव्ययित राज्यांश की धनराशि को चालान द्वारा राजकोष में
अनुदान संख्या-10 में निम्नलिखित लेखा शीर्ष में जमा की जानी चाहिए:-

अनुदान संख्या-10

मुख्य शीर्ष- 2401-फसल कृषि कर्म
उप मुख्य शीर्ष-00
लघु शीर्ष- 911-घटाएं-अधिक अदायगियों की वसूलियां
उप शीर्ष- 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश
विस्तृत शीर्ष-01-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना

अनुदान संख्या-10

2	4	0	1	0	0	9	1	1	8	9	0	1

उपर्युक्त लेखा वर्गीकरण उदाहरण स्वरूप है।

उक्त के क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार अव्ययित राज्यांश की धनराशि को जमा करते समय निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:-

1- ट्रेज़री चालान में अन्य प्रविष्टियों के साथ-साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का उल्लेख लेखा शीर्ष के ठीक ऊपर किया जाये।

2- कोषागारों द्वारा उपरोक्तानुसार जमा चालानों की एक प्रति प्राप्तियों की अनुसूची के साथ मासिक लेखों के साथ महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को भेजी जाये।

3- शेड्यूल्ड कामर्शियल बैंकों में संचालित एस.एन.ए. खाते में अव्ययित राज्यांश पर अर्जित ब्याज (यदि कोई हो) को विभागीय अनुदान के उस लेखा शीर्ष, जिससे राज्यांश स्वीकृत किया गया हो, के राजस्व प्राप्ति पक्ष के सुसंगत प्राप्ति शीर्ष में अलग चालान के माध्यम से जमा करायी जाये।

5. इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट करना है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की पूंजीगत पक्ष की एस.एन. खाते में रक्षित अव्ययित राज्यांश की धनराशि को राजकोष में जमा किये जाने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बी-1-2598/दस-2007-101/2007, दिनाँकः 10 जुलाई, 2007 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन किया जाये।

उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-18/2025-बी-1-1609(1)/दस-2025, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्तानुसार जमा धनराशि के सम्बन्ध में ट्रेज़री पैकेज में यथावश्यक संशोधन कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in